Do You Know?

Haryana has been Conferred the "Champion of Change" Award under the Category of Best State for Engaging Maximum Apprentices per Lakh of Population under the Apprentices Act, 1961.

Haryana is the only state Chosen for the award for Outstanding Performance in Apprenticeship Training

Skill Development and Industrial Training Department
Haryana, Chandigarh.
Phone: 0172-2722542, E-mail: aaa.itiharyana@gmail.com

Most urgent / Issued through email only

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
जींद, करनाल, रिवाडी, यमुनानगर तथा लोहारू (जिला भिवानी), हरियाणा ।

यादि कमाक:- Ap-2/Job Fair/ Placement/ 2017/1401 दिनांक:– 10/12/2017

विषयः– राज्य में रोजगार मेले आयोजित करने बारे– संशोधित कार्यक्रम ।

****

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र कमांक Ap-2/Job Fair/ Placement/ 2017/ 1398 दिनांक 08.12.2017 के निरन्तर में आपको सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा अब निम्न संशोधित कार्यक्रम अनुसार रोजगार मेले आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

क्र0	संस्थान का नाम	स्थान	जॉब मेला तिथि
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	जींद	18.12.2017
2	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	करनाल	20.12.2017
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	रिवाडी	21.12.2017
4	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	लोहारू	08.01.2018
5	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	यमुनानगर	10.01.2018

इन रोजगार मेलों में केवल हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी आई0टी0आई0 उत्तीर्ण उम्मीद्वार एवं रोजगार विभाग के सक्षम युवा योजना के तहत पंजीकृत उम्मीद्वार ही आमंत्रित किए जाएंगे। उपरोक्त रोजगार मेले संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा एंव जिला रोजगार अधिकारी द्वारा निदेशालय के पत्र पत्र T/Job Fair/2017/832-833 दिनांक 23.06.2017 अनुसार आयोजित किए जाएगें।

अतः आपको यह निर्देश दिए जाते हैं किः

1. रोज़गार मेला में निजी प्रतिष्ठानों को आमंत्रित करने से पहले उनकी पृष्ठ भूमि को अच्छी तरह जांच लेवें तथा केवल प्रतिष्ठानों के अधिकृत प्रतिनिधियों को ही आमंत्रित करें व प्राईवेट प्लेसमैंट एजेंसियों को आमंत्रित कदापि न करें। रोज़गार मेले के दौरान छात्रों के रजिस्ट्रेशन, मैडीकल आदि का शुल्क किसी भी अवस्था में न लिया जाए व न ही निजी प्रतिष्ठानों को ऐसा करने की अनुमति दी जाए।
2. रोज़गार मेला के लिए अधिक से अधिक निजी प्रतिष्ठानों से संपर्क कर अधिकतम प्रतिष्ठानों को उम्मीद्वारों को चयन के लिए आमंत्रित करें।
3. रोजगार मेला आयोजित करने उपरांत तीन दिनों के भीतर चयनित उम्मीद्वारों की अंतिम सूची प्रतिष्ठानों से प्राप्त करें व निदेशालय को भेजें।
4. प्रधानाचार्य Govt. ITI द्वारा रोज़गार मेला के लिए अति आवश्यक खर्च संस्थान के छात्रनिधि फंड से किया जाएगा जिसके लिए अनुमानित खर्च के आधार पर निदेशालय से अग्रिम स्वीकृति प्राप्त करें।
5. स्थानीय समाचार पत्रों में प्रैस नोट जारी करवाएं ताकि अधिक से अधिक उम्मीद्वार भाग ले सकें

उपरोक्त की दृढ़ता से पालना की जाए व आवश्यक कार्यवाही तत्परता से की जाए।

संजीव शर्मा
10/12/2017
उप निदेशक प्लेसमैंट
कृतेः निद्शक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ।

यादि कमाक:- Ap-2/Job Fair/ Placement/ 2017/1402 दिनांक:– 10/12/2017

उपरोक्त की एक प्रति निदेशक, रोजगार विभाग, हरियाणा को भेजते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यक्रम के लिए संबंधित जिला रोजगार अधिकारियों को निदेशालय के पत्र T/Job Fair/2017/832-833 दिनांक 23.06.2017 (प्रति सलग्न) अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश देने का कष्ट करे।

संजीव शर्मा
10/12/2017
उप निदेशक प्लेसमैंट
कृतेः निद्शक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ।

C.C.:

- PS/ITM, PS/PSSD&IT, PA /DSD&IT, Nodal Officer IT for uploading on website.
- Concerned District Employment Officer.